संख्या-183/2025/1591/सैंतीस-2-2025-5(53)/2018

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-14 नवम्बर, 2025

विषयः- **प्रदेश में निराश्रित गोवंश संरक्षण के सन्दर्भ में प्रख्यापित नीति में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1756/सामा0-2/बारह-652/2025-26, दिनांक-15.09.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2028, दिनांक-02.01.2019 द्वारा प्रख्यापित प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों में अस्थायी गो आश्रय स्थलों की स्थापना व संचालन नीति को सम्यक विचारोपरान्त आंशिक रूप से निम्नवत् संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

शीर्षक	विद्यमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
3. जनपद स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति	प्रथमतः तीन माह तक बैठक माह में न्यूनतम दो बार उसके पश्चात् प्रत्येक तीन माह में एक बार बैठक प्रस्तावित है।	प्रत्येक माह में एक बार बैठक प्रस्तावित है।
4. मण्डल स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति	प्रथम तीन माह में न्यूनतम दो बार तत्पश्चात् प्रत्येक माह में एक बार बैठक प्रस्तावित है।	प्रत्येक 03 माह में एक बार बैठक प्रस्तावित है।
3.1 ग्राम स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति	कुछ नहीं।	1. ग्राम प्रधान — अध्यक्ष 2. ग्राम पंचायत सदस्य — सदस्य सचिव 3. पशुधन प्रसार अधिकारी (यथा उपलब्धता) — सदस्य 4. लेखपाल — सदस्य यदि स्थायी/अस्थायी गो आश्रय स्थल किसी एन.जी.ओ. द्वारा संचालित किया जा रहा हो तो संचालनकर्ता एन.जी.ओ. द्वारा नामित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		प्रतिनिधि भी उक्त समिति में सदस्य होगा।
3.2 नगरीय निकाय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति	कुछ नहीं।	1. स्थानीय नगर निकाय के अध्यक्ष — अध्यक्ष 2. अधिशासी अधिकारी नगरीय अथवा उनके द्वारा नामित सुपरवाइजर — सदस्य सचिव 3. स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी — सदस्य

2- प्रदेश में निराश्रित गोवंश संरक्षण के सन्दर्भ में शासनादेश दिनांक-02.01.2019 द्वारा प्रख्यापित नीति को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त नीति में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-183/2025/1591(1)/सैंतीस-2-2025-5(53)/2018, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त/नियोजन/कृषि विभाग।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।